



प्रेस नोट

दिनांक 14.09.2025

थाना मझगवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चालाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मझगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त अजीत राजपूत पुत्र अजयपाल राजपूत को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण-

अजीत राजपूत पुत्र अजयपाल राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम अटगांव थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 07/23 धारा 7 आपराधिक कानून अधिनियम 1932 व धारा 147, 148, 149, 286, 307, 323, 354, 427, 429, 452, 504, 506 आईपीसी थाना जरिया हमीरपुर।

02. मु0अ0सं0 8/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 307, 504, 506 आईपीसी थाना जरिया हमीरपुर।

03. मु0अ0सं0 521/24 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ हमीरपुर।

04. मु0अ0सं0 98/25 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना मझगवां हमीरपुर।

05. मु0अ0सं0 99/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मझगवां हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 तौफीक अहमद

02. उ0नि0 अनुज कुमार सिसौदिया

03. का0 आशीष मिश्रा

